

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी (छ0ग0)

// विविध आदेश //

कमांक क/दो-12-01/2023(426ए)

धमतरी, दिनांक 05/10/2023

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के परिपत्र कमांक 12459/नियम /2023 बिलासपुर दिनांक 25.09.2023 में दिये गये निर्देश की कंडिका 1 के अनुसार समस्त न्यायालयों का ई-मेल आईडी निम्नानुसार है:-

Sno	Name of court	email-id
01	District & Sessions court	djdhamtari@gmail.com
02	Addl.District & Sessions court FTSC(POCSO)	ftscdhamtari@gmail.com
03	Addl.District & Sessions court (FTC)	ftcdhamtari@gmail.com
04	Addl.District & Sessions court	adjdhamtari@gmail.com
05	Addl.District & Sessions camp court Kurud	adjkurud@gmail.com
06	Chief Judicial Magistrate	cjmdhamtari@gmail.com
07	II Civil Judge class-I	2cj1dhamtari@gmail.com
08	IAddl. Judge to the court of I civil Judge class-II	1addlcj2dhamtari@gmail.com
09	I civil Judge class-II	1cj2dhamtari@gmail.com
10	II civil Judge class-II	2cj2dhamtari@gmail.com
11	civil Judge class-I Kurud	cj1kurud@gmail.com
12	civil judge class-II Kurud	cj2kurud@gmail.com
13	civil judge class-II Nagri	cj2nagari@gmail.com

परिपत्र की कंडिका 2 के अनुसार डॉक्टरों की उपस्थिति के संबंध में कार्यवाही हेतु जिला मुख्यालय धमतरी से संबंधित न्यायालयों में न्यायालय अधीक्षक तथा बाह्य न्यायालय कुरुद एवं नगरी में पदस्थ नायब नाजिर को नियुक्त किया जाता है, जिनका संपर्क नंबर निम्नानुसार है:-


sno	Name of Nodal	Mobile No.
01	Shri Ashok Kumar Shrivastav, Nodal/clerk of court, dhamtari	98263-73957
02	Shri Jitendra Kumar Kanwar, Nodal/Nayab Nazir Kurud	89599-66695
03	Shri Bhagwantraaj Shuryvanshi, Nodal/Nayab Nazir Nagri	98934-32999

परिपत्र की कंडिका 3 के अनुसार न्यायालयों के प्रकरणों में जिनमें डॉक्टरों की गवाही लिया जाना है उन्हें जारी समंस में संबंधित कार्यालय का संपर्क नंबर एवं ई-मेल आईडी विशेष तौर पर अंकित कर प्रेषित करें।

परिपत्र की कंडिका 4 के अनुसार यदि डॉक्टर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी गवाही देना चाहते हैं, तो वे संबंधित न्यायालय के संपर्क नंबर या नियुक्त न्यायालय अधीक्षक या नायब नाजिर से एक दिन पूर्व 10.30 से 11.00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं जिसकी सूचना संबंधित न्यायालय को दी जा सकें।

यदि उक्त की सूचना सीधे न्यायालय में प्राप्त होती है तो संबंधित न्यायालय के रीडर कार्यवाही उपरांत संबंधितों को जानकारी उपलब्ध करायेगें।

परिपत्र की कंडिका 5 के अनुसार डॉक्टरों के गवाही के संबंध में प्राप्त कॉल/ई-मेल की जानकारी न्यायालय अधीक्षक एवं नायब नाजिर रखेंगे तथा रजिस्टर संधारण करेंगे।


(के.एल.चरयाणी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ0ग0)

पृ० क्रमांक ²¹⁴⁹ दो-12-01/2023(426ए)

धमतरी, दिनांक 05/10/2023


प्रतिलिपि:-

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलसापुर की ओर परिपत्र क्रमांक 12459/नियम/2023 दिनांक 25.09.2023 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
02. समस्त न्यायालय धमतरी/कुरुद/नगरी,
03. कलेक्टर, जिला धमतरी,
04. पुलिस अधीक्षक, जिला धमतरी,
05. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धमतरी एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कुरुद/नगरी की ओर संबंधित चिकित्सकों को न्यायालय में गवाही के पूर्व समय 10.30 से 11.00 बजे के बीच न्यायालय अधीक्षक धमतरी/नायब नाजिर कुरुद/नगरी के संपर्क नंबरों पर न्यायाधीश की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं के संबंध में संसूचित किये जाने हेतु प्रेषित।
06. शासकीय अभिभाषक, लोक अभियोजक कार्यालय धमतरी,
07. संचालक/उप संचालक, अभियोजन कार्यालय, धमतरी/कुरुद/नगरी,
08. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, धमतरी/कुरुद/नगरी,
09. न्यायालय अधीक्षक, धमतरी एवं नायब नाजिर कुरुद/नगरी,
10. सहायक प्रोग्रामर, जिला न्यायालय, धमतरी,

11. लेखापाल, लेखानुभाग धमतरी,

की ओर माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक 12459/नियम/2023 दिनांक 25.09.2023 की छायाप्रति उक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(के.एल.चरयाणी)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ0ग0)